Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में राजस्व पटवारी 2 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 मार्च सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये ओमप्रकाश मेधवाल पटवारी पटवार हल्का खाटू कलां (बड़ी खाटू), तहसील जायल, जिला नागौर को परिवादी से **2 लाख 25 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में ओमप्रकाश मेधवाल पटवारी पटवार हल्का खाटू कलां (बड़ी खाटू), तहसील जायल, जिला नागौर द्वारा **2 लाख 25 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्रीमती सुशीला विश्नोई** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये ओमप्रकाश मेधवाल पुत्र श्री धर्माराम निवासी उवासी, पुलिस थाना बड़ी खाटू, तहसील जायल, जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का खाटू कलां (बड़ी खाटू), तहसील जायल, जिला नागौर को परिवादी से **2 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।